संख्या–1361 / उन्तीस(2) / 18–2(126 पे0) / 2017

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांकः 19 जून, 2018**

विषय :– **जनपद देहरादून की नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत बद्रीपुर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1863 / वि0अनु0 / 02 / शा0 अनु0 / 2018–19, दिनांक 02 जून, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून की नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत बद्रीपुर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या– 27 / उन्तीस(2) / 18–2(126पे0) / 2017, दिनांक 27 जनवरी, 2018 द्वारा रू0 60.45 लाख (रू0 साठ लाख पैतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 30.00 लाख को कम करते हुए अवशेष रू0 30.45 लाख में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 18.45 लाख (रू0 अट्ठारह लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) शासनादेश संख्या– 27 / उन्तीस(2) / 18–2(126पे0) / 2017, दिनांक 27 जनवरी, 2018 के अनुरूप शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(iv) व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01–जलापूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–02–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढ़ीकरण(2215011010503 से स्थानांतरित) –35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या–H1806130987 दिनांक 19 जून, 2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017 /XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा– निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

पृ0 संख्या–1361 (1)/उन्तीस(2)/18–2(126 पे0)/2017, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, परिसर, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।